दिल्ली राजपत्र के भाग - IV असाधारण में प्रकाशनार्थ हेतु

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

राजस्व विभाग

[कार्यालय (राजस्व) एवं मंडलीय आयुक्त]

अधिसूचना

सचिव राजस्व विभाग द्वारा घोषणा

फा.सं. एल.ए.सी.(पश्चिम)/मि./2017/ 4160 दिनांक: 24/08/2017

जबकि सरकार को प्रतीत होता है कि सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात अवजल शोधन संयंत्र के लिए गांव टिकरी कलां ताल्लुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) पंजाबी बाग़ जिला पश्चिम कि 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि कि आवश्यकता है |

और जबकि, गृह मंत्रालय भारत सरकार कि अधिसूचना एस.ओ. 2740 दिनांक 21 अक्टूबर 2014 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनः स्थापना में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गाँव टिकरी कलां तालुक/उपमंडल/तहसील/ब्लाक(यथा लागू) पंजाबी बाग़ जिला पश्चिम की 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि का भाग अधिग्रहण करने की घोषणा करते हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

कम सं0	सर्वेक्षण सं0	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण के अन्तर्गत क्षेत्र (बीघा – बिस्वा)	हितधारी व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं			
						उ0	द0	पूर्व	पश्चि0
1.	74//21 (4-16)	निजी	कृषि	4 बीघा 16 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	मेसर्स के.सीबी. बिल्डर्स & डेवलोपर्स प्रा. लि., सी-4 शिवाजी पार्क,नई दिल्ली	खसरा नं0 74//20/1-2	खसरा नं0 85//1	खसरा नं0 74//22	खसरा नं0 75//25
2.	74//22 (4-03)	निजी	कृषि	1 बीघा 15 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	1. श्री गजेंदर सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, फ्लैट न0. 108, यंगस्टर सोसाइटी सेक्टर-06, द्वारका, नई दिल्ली	74//19/2	85//2/1, 2/2	513 रास्ता	74//21
				1 बीघा 8 बिस्वा(5/14 हिस्सा)	2. श्रीमती राज बाला पत्नी श्री सुखबीर सिंह, गांव टिकरी कलां दिल्ली				

मनीषा 24.

				1 बीघा 8 बिस्वा(5/14 हिस्सा)	3. श्रीमती राज बाला पत्नी श्री राजबीर सिंह, गांव टिकरी कलां दिल्ली				
				1 बीघा 8 बिस्वा(4/14 हिस्सा)	4. श्रीमती रोशनी पत्नी श्री जगदीश, गांव टिकरी कलां दिल्ली				
				1 बीघा (पूरा हिस्सा)	5. श्रीमती रेखा पत्नी श्री मनोज कुमार, गांव रौंद, तहसील बहादुरगढ़, हरियाणा				
3.	85/2/1 (2-08)	निजी	कृषि	2 बीघा 8 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	मेसर्स कन्हैया ट्रेडिंग & इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि., सी-42, सेक्टर-26, नोएडा उ.प्र.	74//22	1415 रास्ता	85//2/2	85/1
4.	85/2/2 (2-08)	निजी	कृषि	2 बीघा 8 बिस्वा (पूरा हिस्सा)	मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज, 2 सेंट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली	74//22	1415 रास्ता	85//3/1	85//2/1
5.	85/3/1 (1-09)	निजी	कृषि	09 बिस्वा (पूरा हिस्सा) 01 बीघा (पूरा हिस्सा)	1.मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज, 2 सेंट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली 2.मेसर्स सरस्वती इंडस्ट्रीज, वी.पी.ओ. नरसिंहपुर, जिला गुडगाँव, हरियाणा	74//22	1415 रास्ता	513 रास्ता	85//2/2

वृक्ष = 10	
किस्म	संख्या
जाटी	1
नीम	4
सहतूत	4
लासूरा	1

ढांचा	
प्रकार	कुल क्षेत्रफल
शून्य	शून्य

यह घोषणा उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनः स्थापन अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबन्धित हितधारी व्यक्तियों की आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा आवश्यक जांच के उपरांत की जा रही है। भूमि अधिग्रहण के कारण संभावित पुनः स्थापित होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है, जिनके लिए पुनः स्थापन क्षेत्र की पहचान की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:–

गांव शून्य ताल्लुक /उपमंडल/तहसील/ब्लाक (यथा लागू) शून्य जिला पश्चिम क्षेत्र शून्य (हैक्टेयर में) ।

उक्त भूमि या उक्त भूमि के किसी विशेष भाग के नीचे पाई जाने वाली कोयला, आयरन स्टोन, स्लेट या अन्य खनिजों की खुदाई की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इसमें खदानों और खनिजों का वह भाग शामिल नहीं है जिसको भूमि के अधिग्रहण के उद्देश्य हेतु परियोजना में निर्माण के किसी चरण के दौरान खोदने या निकालने या प्रयोग किए जाने की आवश्यकता पड़ती है ।

भूमि के योजना को भूमि अधिग्रहण समाहर्ता तथा भूमि अधिग्रहण शाखा (पश्चिम जिला), ओल्ड मिडिल स्कूल बिल्डिंग, रामपुरा दिल्ली-110035 के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनः स्थापन स्कीम का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनीषा 24.8.2017

मनीषा सक्सेना,
सचिव राजस्व एवं मंडलीय आयुक्त

O/C

परिशिष्ट-I पुर्नवास व पुनः स्थापना योजना (सभी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास व पुनः स्थापना के हक के तत्वों के लिए) के लिए संक्षिप्त नमूना

योजना का नाम: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अपशिष्ट जल उपचार सयंत्र,गाँव टिकिरी कलां ज़िला पश्चिम, दिल्ली में स्थापना के लिए

पुर्नवास व पुनः स्थापना का दावा करने वाले व्यक्तियो के नाम व उनके द्वारा किए गए दावो की प्राकृति: जैसे क्रमांक 4 में है |

प्रभावित परिवारों के पुर्नवास व पुनर्व्यवस्थापन के हक के लिए दी गयी समय सीमा RFCTLARRR ACT 2013 की धारा 23 के अंतर्गत अवार्ड उद्घोशित करने की तिथि के 18 महीने के अंतर्गत

दावेदार का नाम/प्रभावित परिवार/कंपनी	आयु/जन्म तिथि	पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पुर्नवास व पुन: स्थापना का अधिकार	टिप्पणी
मेसर्स के.सीबी. बिल्डर्स & डेवलोपर्स प्रा. लि.	मान्य नहीं	मान्य नहीं	रियल एस्टेट का कारोबार	(i)विस्थापना के मामले मे रिहायशी मकान देने की व्यवस्था	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है |
श्री गजेंदर सिंह दराल	1976	पुत्र श्री जसवंत सिंह	रियल एस्टेट का कारोबार		
श्रीमती राज बाला		पत्नी श्री सुखबीर सिंह	सेवानिवृत शिक्षिका	(ii)भूमि का आवंटन किया जाना	लागू नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण सिंचाई योजना के लिए नहीं है |
श्रीमती राज बाला		पत्नी श्रीं राजबीर सिंह	किसान	(iii)विकसित भूमि देने का प्रस्ताव	लागू नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण शहरीकरण के लिए नहीं है |
श्रीमती रेखा	1986	पत्नी श्री मनोज कुमार	व्यापारी	(iv)वार्षिक भत्ता/नौकरी	संबंधित सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किये जाए | (क) प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को इस योजना के अंतर्गत अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत जैसे आवश्यकता है नौकरी देनी चाहिए | उसको नौकरी के लिए आवश्यक क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण और कौशल विकास नौकरी के लिए व धनराशि अर्जित करने, जो कि किसी विशेष कानून के अंतर्गत उस समय संचालित न्यूनतम निर्धारित मजदूरी से कम न हो योग्य बनाना | (ख) प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक बार 5 लाख रुपए का अनुदान (ग) प्रभावित परिवार को 2,000 रुपए प्रति महीने की दर से 20 साल तक वार्षिक भत्ता प्रदान करना (जो कि वार्षिक महंगाई भते के अनुसार देय की जायेगी |
श्रीमती रोशनी		पत्नी श्री जगदीश	किसान		
मेसर्स कन्हैया ट्रेडिंग & इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि.	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं		
मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं		
मेसर्स सुरभि रिसोर्सेज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं		
मेसर्स सरस्वती इंडस्ट्रीज	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं		

				(v)प्रभावित परिवारों को जीवन निर्वाह हेतु 1 वर्ष तक निश्चित धन राशि सहायता प्रदान देना	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
				(vi)विस्थापित परिवार के पुन: स्थापना के लिए परिवहन के व्यय प्रदान कराना	लागू नहीं है क्योंकि प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं है।
				(vii)पशुओं के लिए स्थान या छोटी दुकान की लागत	लागू नहीं है क्योंकि कोई भी पशुओं के लिए स्थान या छोटी दुकान प्रभावित क्षेत्र मे नहीं है।
				(viii)किसी कलाकार, छोटे व्यापारियों व अन्य श्रेणी को एक बार अनुदान प्रदान करना	लागू नहीं क्योंकि कोई भी खेती बाड़ी के अलावा व्यवसायिक, औधोगिक संस्थानीय इमारत, प्रभावित क्षेत्र में अधिग्रहण नहीं की जा रही है।
				(ix)मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं है यह सिंचाई या हाइडल परियोजना नहीं है।
				(x)पुनः स्थापना के लिए एक बार अनुदान प्रदान करना	प्रभावित परिवारों को एक मुश्त केवल रुपए 50,000/- दिए जाएँगे
				(xi)स्टाम्प इयूटी व पंजीकरण शुल्क, यदि दिया है।	यह व्यय सम्बन्धित विभाग (दिल्ली जल बोर्ड) देगा।

मनीषा
24-8-2017

सचिव राजस्व एवं मंडलीय आयुक्त